वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर ने वकालतनाम मय ईकबाली जवाब दावा पेश कर वाद से सहमति जताई। प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश होने व प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा जायल के खाता संख्या 676 प्रदर्ष–1 एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा जायल के खाता संख्या 675 प्रदर्ष–2 एवं पक्षकारान द्वारा उक्त भूमियों के बंटवाडे कि लिखा पढी प्रदर्ष–3 , मृत्यु प्रमाण पत्र छगनी पत्नी रामगोपाल प्रदर्ष–4 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सुगनीदेवी पत्नी तुलछीराम प्रदर्ष–5 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 सरोज ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 रूघनाथ के हक बंट में मौजा जायल के खसरा नम्बर 348 रकबा 1.4002 हैक्टेयर मे से रकबा 0.9145 हैक्टेयर, पश्चिमि हिस्सा तथा खसरा नम्बर 478 रकबा 1.3759 हैक्टेयर पूरा तथा खसरा नम्बर 487 रकबा 0.7851 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 से 7 भंवरलाल, श्यामसुन्दर, महेश, राजू, राधेश्याम, मुन्नालाल के सह हक बंट सह कब्जा काश्त में मौजा जायल के खसरा नम्बर 461 रकबा 1.7078 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 1686 रकबा 0.9389 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 348 रकबा 1.4002 हैक्टेयर में से रकबा 0.4856 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. वादी संख्या 8 से 11 विमल किशोर, बाबुलाल, जगदीश, अशोक कुमार के हक बंट में मोजा जायल के खसरा नम्बर 1665 रकबा 0.5666 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 1656 रकबा 0.0162 हैक्टेयर पूरा एवं खसरानम्ब 1664 रकबा 2.5090 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी सं. 1 सरोज द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग करने से मामला हक त्याग के द्वारा भूमि अन्तरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner